भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 295

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 5 फरवरी, 2024/16 माघ 1945 (शक) को दिया जाना है

जीडीपी के संबंध में कर

295. डॉ. शशि थरूर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कोई ऐसे कदम उठाने की योजना है जिनसे अनौपचारिक क्षेत्र को कराधीन आधार में शामिल करके कराधार में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कर वृद्धि को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): सरकार ने कर चोरी पर अंकुश लगाने, कर आधार को विस्तारित करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर कर संग्रहण को बढ़ावा देने और कर आधार का विस्तार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

<u>प्रत्यक्ष कर:</u>

(i) व्यक्तिगत आयकर का सरलीकरण - वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तिगत करदाताओं को कम स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने (यदि वे निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं) का विकल्प प्रदान किया है। वित्त अधिनियम, 2023 ने यह प्रावधान करके कि निर्धारित वर्ष 2024-25 से, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 115बीएसी(1ए) के तहत प्रदान की गई दरें डिफ़ॉल्ट दरें होंगी, इसके विस्ताव को और भी अधिक बढ़ा दिया है और व्यक्तियों के मामले में लागू होने वाली दरों को कम कर दिया है।

(ii) कॉर्पोरेट कर दर में कमी - वित्त अधिनियम, 2016 से शुरू होकर, कॉर्पोरेटों को उपलब्ध छूट और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए हुए कॉर्पोरेट कर दरों को धीरे-धीरे कम किया गया है ताकि कर आधार बढ़ाया जा सके। विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019, जिसने सभी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% (प्लस अधिभार और उपकर) की रियायती कर व्यवस्था प्रदान की है, के माध्यम से एक ऐतिहासिक कर सुधार लेकर आई है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए, नई विनिर्माण घरेलू कंपनी (01.10.2019 को या उसके बाद निगमित और जो (31.03.2024 को या उससे पहले) विनिर्माण शुरू करती है) के लिए कर की दर को भी घटाकर 15% (अतिरिक्त अधिभार और उपकर) कर दिया गया है। छूट/कटौतियाँ हटाने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप, ये घटी हुई दरें केवल उन कंपनियों के लिए लागू हैं, जो छूट/कटौती का लाभ नहीं उठाती हैं। इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से भी छूट दी गई है।

(iii) नया फॉर्म 26एएस - इस नए फॉर्म में स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह, निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी), और करों का भुगतान, मांग और रिफंड आदि की सभी जानकारी शामिल है। इसके अलावा, फॉर्म 26एएस में एसएफटी डेटा का विवरण करदाता को अपने लेन-देन के बारे में पहले से जागरूक करता है और उन्हें अपनी वास्तविक आय का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

(iv) आयकर रिटर्न को पहले से भरना - कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए, व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रदान किए गए हैं। प्री-फाइलिंग के लिए जानकारी के दायरे में वेतन आय, बैंक ब्याज, लाभांश आदि जैसी जानकारी शामिल की गई हैं।

(v) अद्यतन रिटर्न - अधिनियम की धारा 139(8ए) करदाता को सुसंगत मूल्यांकन के अंत से दो वर्ष के भीतर कभी भी अपना रिटर्न अपडेट करने की सुविधा देती है ताकि वह स्वेच्छा से चूक या गलतियों को स्वीकार करके और अतिरिक्त भुगतान करके, जैसा भी लागू हो, एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सके।

(vi) ई-सत्यापन योजना- विभाग द्वारा शुरू की गई ई-सत्यापन योजना डिजिटलीकृत कर प्रशासन का एक अन्य घटक है, जो कर चोरी को कम करने के लिए अधिकारियों को, करदाता की आय के सटीक और व्यापक निर्धारण के उद्देश्य से जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाती है। इस योजना के माध्यम से, करदाताओं को विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई उनसे संबंधित सभी प्रासंगिक वित्तीय जानकारी प्रदान की जाती है।

(vii) स्टार्ट-अप के लिए अनुपालन मानदंडों का सरलीकरण - स्टार्ट-अप को परेशानी मुक्त, कर वातावरण प्रदान किया गया है जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया का सरलीकरण, एंजेल-टैक्स से छूट, समर्पित स्टार्ट-अप सेल का गठन शामिल है।

(viii) विवाद समाधान समिति (डीआरसी) की स्थापना- मुकदमेबाजी को कम करने और छोटे करदाताओं के लिए विवाद समाधान को गति देने के लिए विवाद समाधान समिति का गठन किया गया है। 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाला करदाता इस समिति से संपर्क करने का पात्र होगा। दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-विवाद समाधान समिति योजना, 2021 के तहत समिति की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी।

(ix) टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार - नए करदाताओं को आयकर के दायरे में लाने के लिए, भारी नकदी निकासी, विदेशी प्रेषण, लग्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागी, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद आदि को शामिल करके टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार किया गया था।

<u>अप्रत्यक्ष कर</u>

जीएसटी परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें राज्यों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, की सिफारिशों पर माल और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें/दर स्लैब निर्धारित की जाती हैं 47वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सफाई सुविधा के संचालकों द्वारा नैदानिक (क्लिनिकल) प्रतिष्ठान आदि को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर छूट, 1000 रुपये प्रति यूनिट प्रति दिन से कम कीमत वाले होटल आवास पर छूट आदि, ई-कचरा, पेट्रोलियम संचालन से संबंधित सामान, सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों को आपूर्ति किए गए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, चेक, मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक चार्ट आदि सहित विभिन्न उत्पादों पर छूट और रियायती दरें वापस ले ली गईं, जिससे कर आधार का विस्तार हुआ।

इसी तरह, 45वीं जीएसटी परिषद ने ईंट भट्टों को 40 लाख रुपये की मानक सीमा के स्थान पर 20 लाख रुपये की सीमा के साथ विशेष संरचना योजना के तहत लाने की सिफारिश की, जिसमें आईटीसी के बिना 6% की दर से जीएसटी सहित और अन्यथा ईंटों पर आईटीसी के साथ जीएसटी 12% की दर लागू होगी।

*****